बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–6/स्था0नियु0–2/2013– 1096 /कृ0, पटना, दिनांक 27-11 2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आयें, तब तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आयें, तब तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी कृषि रोड मैप के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सभी कृषि संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं किसानों को तकनीकी सहयोग दिये जाने हेतु कृषि समन्वयक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2014 बनाई गयी।

3. कृषि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1191 दिनांक 25.07.13 द्वारा इसके लिए राज्य में कुल 4391 "कृषि समन्वयक" के पद सृजित किये गये हैं।

4. कृषि समन्वयक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को पत्रांक–663 दिनांक 21.05.2014 द्वारा संसूचित की गई है।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–8025 दिनांक 21.05.2013 के आलोक में नियोजित कृषि समन्वयकों जिसकी अवधि 31.07.2015 को समाप्ति के उपरान्त स्थायी नियुक्ति में विलंब होने के कारण कृषि विभाग में चल रही योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों (2745) को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्तार किया जाता है। अवधि विस्तार में सामान्य प्रशासन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

6. इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होंगे तथा कर्मियों के वेतनादि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय का भार बजट शीर्ष 2401 उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीर्ष–0001 प्रमंडलीय, जिला, अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड– N2401001090001 विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं की अदायगी मद से वित्तीय वर्ष 2015–16 में की जायेगी।

27/11/15

C:\Documents and Settings\user\Desktop\Agri Cordinator.docx

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.08.2015 को स्वीकृति संचिका संख्या–6/स्था0नियु0–2/2013 के पृ0सं0–117/टि. पर प्राप्त है। विभागीय माननीय मंत्री की स्वीकृति 108/टि० पर दिनांकः 04.08.2015 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6/स्था0नियु0–2/2013 के पृ0सं0–124/टि. पर दिनांक–01.10.15 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 27/11/15
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1096 /कृ0, पटना, दिनांक 27-11, 2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1096 /कृ0, पटना, दिनांक 27-11, 2015

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1096 /कृ0, पटना, दिनांक 27-11-, 2015

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/कृषि विभाग (मुख्यालय) एवं सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।